न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 10/2017

श्री आसिमदीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

सायल

बनाम

1. राजगुर्जर पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह मै0 ध्रुव डेयरी एण्ड मिष्ठान मावा भण्डार मण्डी अटलबन्द भरतपुर निवासी ग्राम गामरी तहसील भरतपुर जिला भरतपुर।
2. मै0 सेठीया मार्केटिंग 6 एफ–37 महीमास ट्रीनीटी प्लॉट नं. 5 स्वेज फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर।
3. UN 2 सेठीया स्वीट प्रॉडेक्ट यूनिट 4–1/277 फेस 2 भीनवाल इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बीकानेर 334006

गैर सायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :

1. श्री राजवीरसिंह एडवोकेट गैर सायल संख्या–1
2. गैर सायल संख्या–दो–तीन स्वयं

निर्णय

दिनांक : 17.1.2017

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस. एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 23.3.2016 को प्रातः 11.15 बजे दौराने निरीक्षण गैर सायल संख्या एक की ध्रुव डेयरी एण्ड मिष्ठान मावा भण्डार मण्डी अटलबन्द भरतपुर पर 1 किलो के 20 पैकिट रसगुल्ला (मिलन ब्राण्ड) आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये। जिसमें मिलावट का संदेह

होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–298/एक्ट/2016/305 दिनांक 8.4.2016 द्वारा उक्त खाद्य वस्तु रसगुल्ला (मिलन ब्राण्ड) का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अमानक (SusStandard) प्रकृति की खाद्य वस्तु रसगुल्ला (मिलन ब्राण्ड) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप गैरसायल स्वीकार करते है। किन्तु गैर सायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण गैर सायल की डेयरी पर 1 किलो के 20 पैकिट रसगुल्ला (मिलन ब्राण्ड) आम जनता को विक्रय हेतु पाये गये जिसका नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–298/एक्ट/2016/305 दिनांक 8.4.2016 द्वारा अमानक (SusStandard) स्तर का पाया गया है। गैर सायल द्वारा अवमानक स्तर की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैर सायलान को 5000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायलान द्वारा रसीद संख्या 000036 दिनांक 17.1.2018 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

Web Copy - Not Official